न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./2700/2001/जयपुर

1– सावित्री देवी बेवा बालाबक्श जाति ब्राह्मण निवासी बासड़ी जोगियान हाल निवासी डी–20, मधुबन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1– तारादेवी पत्नि नामालुम जाति ब्राह्मण,
2– सुदेश पुत्र नामालुम जाति ब्राह्मण निवासी सरस्वती कॉलोनी, लक्ष्मी निवास, जयपुर।
3– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंट

अपील/एल.आर./2701/2001/जयपुर

1– सावित्री देवी बेवा बालाबक्श जाति ब्राह्मण निवासी बासड़ी जोगियान हाल निवासी डी–20, मधुबन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1– तारादेवी पत्नि नामालुम जाति ब्राह्मण,
2– सुदेश पुत्र नामालुम जाति ब्राह्मण निवासी सरस्वती कॉलोनी, लक्ष्मी निवास, जयपुर।
3– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंट

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री अभिषेक कोशिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2

निर्णय **दिनांक :– 4.2.2020**

प्रश्नगत् दोनों अपीलें धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 28–03–2001 अपील सं0 76/1999 व 77/1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– चूंकि प्रश्नगत दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकार व निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। हस्ताक्षरित निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

3– दोनों अपीलें के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बासड़ी जोगियान के नामान्तरकरण सं0 294 के द्वारा खातेदार बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनारायण के फौत होने पर विरासत व वसीयत के आधार पर सावित्री बेवा बालाबक्श, तारादेवी बेवा बालाबक्श, सुदेश दत्तक पुत्र बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण हिस्सा बराबर 1/2 का खोला गया जिसे ग्राम पंचायत पहाड़िया ने दिनांक 19–8–1995 को लक्ष्मीनारायण उर्फ बालाबक्श की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण सावित्री देवी व तारादेवी के नाम बराबर हिस्सा का स्वीकार किया गया जिस आदेश से असंतुष्ट होकर सावित्री देवी ने अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने आदेश दिनांक 7–1–1997 से अपील स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण सं0 294 पर पारित आदेश दिनांक 19–8–1995 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार फागी को प्रतिप्रेषित कर दिया, उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फागी ने अपने आदेश दिनांक 31–5–1999 को पुनः आदेश पारित कर दिये जिस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी सावित्री देवी द्वारा प्रथम अपील व रेस्पो0 तारादेवी द्वारा दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निस्तारण करते हुए अपील सं0 76/1999 खारिज कर दी व दूसरी अपील सं0 77/1999 दिनांक 28–3–2001 स्वीकार कर ली गयी। जिस आदेश दिनांक 28–3–2001 से व्यथित होकर अपीलार्थी सावित्री देवी द्वारा यह दो अलग–अलग अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4– विद्वान अधिवक्तागण की दोनों अपीलों पर बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं कानून के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह उज्र उठाया गया कि सावित्री देवी एवं उसके दत्तक पुत्र संजीव मृतक बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण का पुत्र हैं और रेस्पो. का मृतक बालाबक्श से कोई संबंध नहीं है और न ही मृतक बालाबक्श ने रेस्पो0 तारादेवी से कभी विवाह किया है और ना ही रेस्पो0 सुदेश कुमार को कभी मृतक बालाबक्श ने एक अपीलार्थी ने गोद लिया मगर उक्त उज्रात के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं रेकार्ड का सही रूप से विश्लेषण नहीं कर तारादेवी को तथा सुदेश कुमार को

मृतक बालाबक्श के खातेदारी की भूमि का 1/6–1/6 हिस्से का नामान्तरकरण दोनों के नाम खोल देने का जो आदेश पारित किया है, वह गलत, खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक बालाबक्श द्वारा किये गये वसीयतनामा जो अपीलार्थी के हक में एवं संजीव शर्मा के हक में किया गया रजिस्टर्ड गोदनामा था जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर तारादेवी एवं सुदेश कुमार को मृतक बालाबक्श का उत्तराधिकारी मानते हुए नामान्तरकरण की प्रक्रिया को बहाल रखने में महत्वपूर्ण कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पो0 स्वयं के नाम दिनांक 11–5–1995 की मृतक बालाबक्श की वसीयत उसके हक में होना बताया है जो एकदम गलत है क्योंकि उक्त वसीयत बालाबक्श ने कभी नहीं की है, जो फर्जी बनायी गयी है। मृतक बालाबक्श ने रेस्पो0 के हक में कभी वसीयत नहीं की और ना ही उसे इस प्रकार की वसीयत करने का अधिकार था क्योंकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति है। बहस में आगे कहा कि रेस्पो0 सं0 1 को बालाबक्श की पत्नि नं0 2 को बालाबक्श का पुत्र नहीं माना और ना ही कोई गोदनामा रेस्पो0 सं0 2 के हक में माना है और रेस्पो0 सं0 1 का पति जीवित होना माना है, पति द्वारा तलाक देना नहीं माना है तो फिर किस प्रकार रेस्पो0 बालाबक्श की सम्पति में हक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना है, स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के कब्जे बाबत् कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जबकि प्रश्नगत आराजी पर कब्जा अपीलार्थी का है। अतः दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार की जाकर अति0 सम्भागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 28–3–2001 अपास्त किया जावें।

6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वसीयत सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है तथा नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खुला है। वसीयत को सिविल न्यायालय द्वारा बहाल रखा गया है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत एवं न्यायसंगत होने से दोनों अपीलें अपीलांट काबिल खारिज योग्य हैं।

7– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28–3–2001 में अंकित किया है कि अपील सं0 76/99 अस्वीकार की जाती है। अपील सं0 77/99 स्वीकार की जाती है। तहसीलदार फागी का आदेश दिनांक 31–5–1999 निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि नामान्तरकरण सं0 294 में अंकित आराजी पर

बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण की हिस्से की भूमि सावित्री देवी, तारादेवी व सुदेश को बराबर के खातेदार दर्ज किया जावें।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में दो वसीयतों का उल्लेख हो रहा है। प्रथम वसीयत दिनांक 1–5–1985 को तथा दूसरी वसीयत दिनांक 11–5–1995 को की गई है। अपीलार्थी श्रीमती सावित्री देवी का अपील में आधार है कि रेस्पोडेन्ट तारादेवी व सुदेश का मृतक बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण से कोई संबंध नहीं है, न ही मृतक बालाबक्श ने तारादेवी से कभी विवाह किया है और ना ही सुदेश कुमार को गोद लिया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि सावित्री देवी व तारादेवी मृतक बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण की पत्नि के रूप में रही है। इसका समर्थन बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण द्वारा दिनांक 11–5–1995 को निष्पादित वसीयत से होता है जिसमें स्वयं बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण ने अपीलांट सावित्री देवी तथा रेस्पो0 तारादेवी को अपनी पत्नि माना है। इसके अलावा परिवार कार्ड सरस्वती कॉलोनी, सांगानेर में तारादेवी को पत्नि तथा सुदेश को पुत्र अंकित किया है। मेडिकल कार्ड दिनांक 8–4–1993 में भी तारादेवी को पत्नि अंकित किया है। बचत बैंक खाता दिनांक 21–10–1981, परिवार कार्ड दिनांक 29–5–1993 ग्राम बासड़ी जोगियान, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के प्रमाण पत्र में सुदेश के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण अंकित है। इसके अलावा ग्राम पंचायत पहाड़ियान द्वारा नामान्तरकरण सं0 294 दिनांक 19–8–1995 में भी श्रीमती सावित्री देवी तथा तारादेवी को पत्नि मानते हुए बराबर हिस्सा भूमि दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। इन सभी दस्तावेजों के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश के जरिये तहसीलदार द्वारा यह स्थापित किया जाना कि श्रीमती तारादेवी बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण की पत्नि नहीं है, उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक बालाबक्श द्वारा किया गया वसीयतनामा जो अपीलार्थी के हक में एवं संजीव शर्मा के हक में किया गया रजिस्टर्ड गोदनामा था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि श्रीमती सावित्रीदेवी के पक्ष में दिनांक 1–5–1985 की वसीयत है, तत्पश्चात् श्री बालाबक्श द्वारा दिनांक 11–5–1995 को वसीयत की गई है। अतः पूर्व की वसीयत के आधार पर केवल अपीलार्थी श्रीमती सावित्री देवी को मृतक बालाबक्श का केवल एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। जहां तक श्री संजीव शर्मा के हक में किये गये रजिस्टर्ड गोदनामा श्री बालाबक्श की मृत्यु के बाद सावित्री देवी द्वारा दिनांक 7–7–1995 को किया गया है। इससे श्री संजीव शर्मा को मृतक बालाबक्श की सम्पति में कोई हक, अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

10– तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31–5–1999 में यह अंकित किया कि बालाबक्श अपने हिस्से की अर्थात आधी भूमि की ही वसीयत कर सकता था सही विवेचन नहीं किया है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि ग्राम बासड़ी जोगियान में स्थित 18 बीधा 5 बिस्वा भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार रहा था। उक्त भूमि पैतृक हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण का विवादग्रस्त आराजी में सम्पूर्ण हिस्से पर अधिकार प्राप्त है और वसीयत दिनांक 11–5–1995 के अनुसार श्रीमती सावित्री देवी, तारादेवी पत्नि एवं श्री सुदेश पुत्र का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। इस आधार से अपीलाधीन आदेश के द्वारा सावित्री देवी को 2/3 हिस्सा तथा शेष 1/3 हिस्सा सुदेश व सावित्री को दिया जाना अनुचित है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही में समरी जांच के आधार पर सम्पन्न की जाती है। अपीलार्थियां श्रीमती सावित्री देवी वसीयत दिनांक 11–5–1995 से यदि पीड़ित है तो उसके निरस्तीकरण के लिए सक्षम न्ययालय में कार्यवाही कर सकती है। वसीयत दिनांक 11–5–1995 को निरस्त किये जाने के लिए सक्षम न्यायालय में दावा लम्बित होने की जानकारी यद्यपि रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दी गई है। इस दावे में यदि वैद्यानिक निर्णय पारित हो जाता है तो तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जा सकती है। मात्र दावा सिविल न्यायालय में चलने के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित भी नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी सावित्री देवी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य दलील है कि उसके हक में सम्पूर्ण आराजी की वसीयत दिनांक 1–5–1985 को निष्पादित की गई थी, अप्रासंगिक है क्योंकि मृतक बालाबक्श उर्फ लक्ष्मीनारायण द्वारा अंतिम वसीयत दिनांक 11–5–1995 को की है। ऐसी स्थिति में इसके पूर्व की वसीयत दिनांक 1–5–1985 का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 28–3–2001 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुए अपील सं0 2701/2001 अस्वीकार एवं अपील सं0 2700/2001 स्वीकार किये जाने योग्य है।

11– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में दोनों अपीलें 2700/2001 एवं अपील सं0 2701/2001 अस्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 28–3–2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य